न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 19/2014

प्रार्थी

भूराराम गोदारा
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ताराचन्द पुत्र पेरूमल जाति सिन्धी निवासी कालू सिन्धी की गली सिणधरी जिला बाड़मेर (फर्म मालिक)
2. अचलाराम बेनिवाल पुत्र रूगाराम निवासी मकान नंबर 214, सिणधरी जिला बाड़मेर
3. मेहरवान रावत पुत्र गजेसिंह रावत (फर्म नोमिनी) मार्फत बून्गे इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 25, हरि ट्रांसपोर्ट के पास, ट्रांसपोर्ट नगर बासनी, II फेस जोधपुर
4. मैसर्स बून्गे इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 25, हरि ट्रांसपोर्ट के पास, ट्रांसपोर्ट नगर, बासनी II फेस, जोधपुर मार्फत मेहरवान रावत

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः—1. श्री दौलतराम सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मदनलाल सिंहल एडवोकेट अप्रार्थी 01 की ओर से।
3. श्री बांकाराम चौधरी एडवोकेट अप्रार्थी सं. 02 की ओर से।
4. अप्रार्थी संख्या 03 व 04 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 02.11.2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 18.8.2013 को खाध सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर के दौराने गश्त दोपहर 01.00 बजे मैं. गुरूकृपा किराणा स्टोर सिणधरी पहुचंने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम ताराचन्द पुत्र पेरूमल जाति सिन्धी उम्र 50 वर्ष निवासी कालूसिन्धी की गली सिणधरी

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

जिला बाड़मेर (फर्म मालिक) बताया। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य किराणा खाद्य सामग्री के साथ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड चम्बल (500 एम.एल.) की 12 बोतलें एक कार्टून में रखी हुई पाई गई। उक्त रिफाइण्ड सोयाबीन तेल चम्बल ब्राण्ड में मिलावट का संदेह होने पर रूबरू गवाह के समक्ष मालिक विक्रेता को जरिये रसीद संख्या 156 के द्वारा रूपये 220/– नगद अदा कर 500–500 एल.एल. की कुल 4 बोतले सीलबन्द क्रय की गई एवं रूपयो की रसीद/केश मीमो प्राप्त की। विक्रेता व गवाह के सामने 4 लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर पी. 492 खाध पदार्थ का विवरण एंव नमूना लेने का स्थान एंव दिनांक अंकित की गई। चार पैकेटो को चार भागों में बांट कर उन पर लेबल चिपकाया जाकर प्रार्थी व गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर इस पर पेपर स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी–492 नियमानुसार सील बंद किया। प्रत्येक नमूने पर विवरण लिख कर प्रार्थी व गवाहो ने पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए अपने–अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए भरकर गवाहो के हस्ताक्षर कराये जिसकी प्रति मालिक विक्रेता को दी गई। मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में मौकाफर्द तैयार की गयी। समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी–492 जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। फार्म नम्बर 06 की प्रतियां तैयार की गयी। नमूना सील जिसका प्रयोग सेम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाध पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल चम्बल ब्राण्ड की नमूना जांच रिपोर्ट फूड एनालिस्ट जोधपुर के क्रमांक एलएस/401/एक्ट /2013/406 दिनांक 27.08.2013 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार जॉच में खाध पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल चम्बल ब्राण्ड का नमूना पी–492

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

मिसब्राण्ड पाया गया। इसप्रकार जॉच में misbranded पाये गये खाध पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल चम्बल ब्राण्ड का विक्रय करना खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी, बाड़मेर ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए,नमूना, खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी–492 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 03 व 04 को रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

3. अप्रार्थी संख्या 01 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके द्वारा सिणधरी के होलसेल डीलर मैसर्स अचलाराम बेनीवाल से सोयाबीन तेल खरीदा गया था, मेरे द्वारा इसमें किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रकरण खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने के फलस्वरूप जवाब बन्द किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर ने बहस के दौरान् बताया कि दिनांक 18.8.2013 को जांच के दौरान् रिफाइण्ड सोयाबीन तेल चम्बल ब्राण्ड में मिलावट होने का संदेह होने पर नियमानुसार लिया गया नमूना फूड एनालिस्ट राज. जोधपुर की जॉच रिपोर्ट में नमूना पी–492 मिसब्राण्ड पाया गया जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाना न्यायोचित है।

5. अप्रार्थी संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क था कि अप्रार्थी अचलाराम जो कि सोयाबीन तेल का होलसेल व्यापारी है, से ताराचन्द सोयाबीन तेल खरीद कर अपनी दुकान में फुटकर बेचता है। सोयाबीन तेल के मिसब्राण्ड पाये जाने के लिए होलसेलर एवं निर्माता जिम्मेदार है। अप्रार्थी संख्या 01 जिम्मेदार नही होने के कारण प्रार्थी द्वारा पेश परिवाद निरस्त किये जाने के काबिल है।

6. अप्रार्थी संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी अचलाराम सोयाबीन तेल का होलसेल व्यापारी है, परन्तु सोयाबीन तेल का निर्माता नहीं है। अतः रिफाइण्ड सोयाबीन तेल के

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

मिसब्राण्ड पाये जाने हेतु केवल अचलाराम को जिम्मेदार ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

7. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/401/एक्ट/2013/406 दिनांक 27.08.2013 अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा बेचा जा रहा खाध पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड चम्बल का नमूना जॉच में misbranded पाया गया, जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ताराचन्द वगैरहा द्वारा खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)उल्लंघन किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में misbranded पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत अभियुक्त ताराचन्द वगैरहा (प्रत्येक पर) पर रूपये 20,000/– 20,000/– (अक्षरे रूपये बीस–बीस हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 02.11.2016 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बाडमेर

आदेश आज दिनांक 02.11.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बाडमेर